झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः— रा0खा0आ0 (शि0) 10/2022— 622

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में

उपायुक्त
गिरिडीह।

राँची, दिनांक— 03.09.2024

विषयः— **गिरिडीह जिलान्तर्गत जनवितरण प्रणाली में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि गिरिडीह जिला में जनवितरण प्रणाली में व्याप्त अनियमितता पर कई खबरें दैनिक समाचार—पत्र "प्रभात खबर" में लगातार प्रकाशित हो रही है। प्रभात खबर के स्थानीय पत्रकार द्वारा अनियमितताओं की प्रकाशित खबरें मुझे वाट्सएप्प पर भेजा गया है। प्राप्त खबरों की कतरनों की प्रति आपको प्रेषित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आप अपर समाहर्त्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी से खबरों में उल्लेखित सभी अनियमितताओं की विस्तृत जाँच करा कर जाँच प्रतिवेदन आयोग को 07 दिनों में समर्पित कराना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन

03/09/2024

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Chairman Sir new\letter.docx135

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com

प्रभात खबर

गिरिडीह प्रभात

शहरों का तापमान | धनबाद : अधिकतम 32.0° न्यूनतम 26.0° | बोकारो : अधिकतम 32.0° न्यूनतम 25.0° | गिरिडीह : अधिक

राज्य में वितरण प्रतिशत 82.85 पहुंचा, जबकि गिरिडीह जिले में मात्र 53.01 प्रतिशत अनाज का हुआ वितरण

गिरिडीह में नहीं सुधर रही जनवितरण प्रणाली, अगस्त में हुई हालत और खराब

राकेश सिन्हा, गिरिडीह

जिले में जनवितरण प्रणाली व्यवस्था सुधर नहीं पा रहा है. वितरण व्यवस्था और खराब होती जा रही है. एक ओर जिन प्रखंडों का अनाज गायब हो गया है. वहां तो वितरण व्यवस्था पहले से ही गड़बड़ायी हुई है, लेकिन जिन प्रखंडों में वितरण व्यवस्था सामान्य थी, वहां भी एक सुनियोजित साजिश के तहत कार्डधारियों को अनाज नहीं दिया जा रहा है ताकि उस अनाज को दुर्गापूजा के पूर्व कालाबाजार में टपाया जा सके. अगस्त माह में राज्य में जहां 82.85 प्रतिशत पीडीएस अनाज का वितरण किया गया है. वहीं गिरिडीह जिले में मात्र 53.01 प्रतिशत ही वितरण किया जा सका. बता दें कि यह वितरण प्रतिशत पिछले तीन माह में सबसे खराब है. जहां जून महीने में 67.26 प्रतिशत वितरण किया गया, वहीं जुलाई महीने में 68.13 प्रतिशत अनाज का वितरण किया गया था. अधिकारियों ने दावा किया था कि आने वाले माह में वितरण व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जायेगा. लेकिन दुरुस्त होने के बजाय वितरण की स्थिति और खराब हो गयी है. राज्य के अन्य जिलों पर गौर करें तो लोहरदगा जिला में 96.29 प्रतिशत, रामगढ़ जिले में 96.19 प्रतिशत और गिरिडीह से सटे जामताड़ा जिले में 95.35 प्रतिशत अनाज का वितरण हुआ है.

एजीएम और डीएसडी संवेदकों पर चुप्पी क्यों : इधर इस मामले में जहां जिला प्रशासन के साथ-साथ विभाग के वरीय अधिकारियों के आंखों में जिले के अधिकारी धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उन्हें गलत फीडबैक दिया जा रहा है. बैकलॉग का हवाला देकर अधिकारियों को बताया जा रहा है कि पूर्व में जो गड़बड़ी हुई है, उसी कारणवश वितरण व्यवस्था चरमराया हुआ है. जबकि सच्चाई यह है कि प्रत्येक माह अवधि विस्तार लेकर डबल फिंगर के जरिये एक माह के अनाज की चोरी कर ली जा रही है. कार्डधारियों को डबल अनाज देने की बात कहकर एक माह का अनाज उन्हें दिया जा रहा है. आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रत्येक माह जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला गोदाम प्रबंधक के द्वारा चेतावनी पत्र भी जारी किया जाता है, लेकिन खराब वितरण व्यवस्था को लेकर चेतावनी सिर्फ संबंधित प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और डीलरों को दी जा रही है. स कार्य में लापरवाही बरतने वाले या कालाबाजार के खेल में शामिल संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक और डीएसडी के संवेदकों पर न ही कोई कार्रवाई हो रही है और ना ही उन्हें कोई चेतावनी ही दी जा रहा है. जबकि सच्चाई ये है कि कई प्रखंडों में सहायक गोदाम प्रबंधक और डीएसडी के संवेदकों द्वारा डीलरों के दुकानों तक अनाज पहुंचाया ही नहीं जा रहा है. अधिकारियों द्वारा डीलरों को अनाज आपूर्ति किये जाने के झूठे दावे किये जा रहे हैं. जानकारों का कहना है कि पीडीएस दुकानदारों के दुकान में उतनी जगह भी नहीं है कि दो माह का अनाज वहां रखा जा सके. अधिकारी बिना अनाज पहुंचाये ही डीलरों पर दबाव बना रहे हैं.

1946 पीडीएस दुकानों में से 714 दुकानों में वितरण प्रतिशत शून्य

गिरिडीह जिले में कुल अनाज आवंटन 1,12,836 क्विंटल है. यह अनाज 4,26,699 कार्डधारियों के बीच वितरित किया जाना है. लेकिन अब तक मात्र 59,651 क्विंटल अनाज का ही वितरण किया जा सका है. झारखंड राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर नजर डाले तो कई आंकड़े चौकाने वाले है. जिले में कुल 1946 पीडीएस दुकान है जिसमे से 714 दुकानों मे अब तक वितरण शुरू ही नहीं हो सका है. यानि इन दुकानों का वितरण प्रतिशत शून्य है. प्रखंडवार वितरण की स्थिति देखें तो पूर्व से बिरनी, धनवार, जमुआ और सरिया प्रखंड की स्थिति बेहद खराब रही है. इस बार भी इन प्रखंडों की वितरण व्यवस्था बेहद खराब रिकार्ड की गयी है. अधिकारियों द्वारा इन प्रखंडों मे बैकलॉग बताकर उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है. जबकि इन प्रखंडों के अनाज के गायब होने की पुष्टि जांच मे हो चुकी है. अब अगस्त माह के आंकड़े पर गौर करें तो बिरनी मे 21.19 प्रतिशत, धनवार मे 9.33 प्रतिशत, जमुआ मे 2.99 प्रतिशत और सरिया मे 49.5 प्रतिशत का वितरण हो पाया है. अन्य प्रखंडों मे भी अनाज का वितरण एक साजिश के तहत ठीक से नहीं की गयी है. बगोदर मे मात्र 52.12 प्रतिशत, डुमरी मे 69.68 प्रतिशत, गांडेय मे 72.89 प्रतिशत, गावां मे 68.02 प्रतिशत और गिरिडीह मुफस्सिल मे 71.27 प्रतिशत का ही वितरण हो पाया है.

प्रखंड का नाम	दुकानों की संख्या	वितरण प्रतिशत	शून्य वितरण
बगोदर	109	52.12	40
बेंगाबाद	109	94.59	00
बिरनी	128	21.19	95
देवरी	164	89.21	00
धनवार	203	9.33	178
डुमरी	178	69.68	40
गांडेय	141	72.89	30
गावां	104	68.02	22
गिरिडीह मु	194	71.27	35
जमुआ	226	2.99	219
पीरटांड़	100	86.80	12
सरिया	107	49.50	43
तिसरी	76	86.05	00
गिरिडीह नि	107	88.46	00
कुल	1946	53.01	714

लापरवाह डीएसडी एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड कर कार्रवाई हो : विनोद सिंह

भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने कहा कि बार-बार गड़बड़ी की बात सामने आ रही है. अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह सब हो रहा है. जहां तक मेरी जानकारी है कि डीएसडी के संवेदक डीलरों को अनाज समय पर नहीं दे रहे है. अनाज की कालाबाजारी हो रही है. इसके कारण अत्यंत गरीबों को अनाज नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि लापरवाह डीएसडी एजेंसियों को जिला प्रशासन बिना विलंब किये ब्लैक लिस्टेड करे और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो. कहा कि ठोस कार्रवाई नहीं होने से घोटालेबाजों का मनोबल बढ़ रहा है. कई बार विधानसभा मे उन्होंने मामले को उठाया है. दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रपत्र 'क' भी गठित हुआ, लेकिन इन अधिकारियों पर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. विधायक ने कहा कि अनाज वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य खाद्य आयोग को भी हस्तक्षेप करना चाहिए. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो प्रावधान है, उसके तहत दोषी लोगों के विरुद्ध आयोग कार्रवाई करे और लाभुकों को न्याय दिलाये.

प्रशासन प्राथमिकी दर्ज कर रिकवरी करे : बीस सूत्री उपाध्यक्ष

बीस सूत्री उपाध्यक्ष सह झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि खराब अनाज वितरण व्यवस्था के कारण जिले मे सरकार की छवि काफी धूमिल हो रही है. इसे किसी भी स्थिति मे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. कहा कि पिछले दिनों खुद गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने जांच करवाकर 87000 क्विंटल अनाज गायब हो जाने के मामले को पकड़ा है. लेकिन इस मामले मे प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की जा रही है, यह समझ से परे है. कहा कि इस मामले मे जिला प्रशासन दोषी लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करे और अविलंब अनाज या उतनी की राशि की रिकवरी करे. साथ ही जिले मे अवैध तरीके से पीडीएस लाइसेंस निर्गत किये जाने व हरा कार्ड को पीला कार्ड बदलने जैसे गंभीर मामले भी पकड़े गये. इस मामले मे दोषियों को चिह्नित भी किया गया. लेकिन, बड़े अधिकारियों को छोड़ दिया गया है. बताया कि जिस आइडी से कार्ड को बदला गया था, वह तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी का था. इस मामले मे कंप्यूटर ऑपरेटर पर कार्रवाई कर चुप्पी साध ली गयी है. महिला कंप्यूटर ऑपरेटर को जेल भेज दिया गया है. जबकि, सच्चाई यह है कि तत्कालीन डीएसओ के निर्देश पर ही महिला कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा कार्ड बदला गया था. कहा कि जिले मे गरीबों का अनाज उन तक नहीं पहुंच पा रहा है. एक संगठित गिरोह के माध्यम से लूट मची हुई है. जिला प्रशासन का इस मामले मे मूकदर्शक बना रहना काफी आश्चर्यजनक है.

तीन माह से अनाज नहीं मिलने से क्षुब्ध कार्डधारी पहुंचे प्रखंड कार्यालय

पीरटांड़. तीन माह से अनाज नहीं मिलने से नावाडीह के कार्डधारियों में आक्रोश है. गुरुवार को पीडीएस दुकान घेरने के बाद भी कोई पहल नहीं हुई. सोमवार को कार्डधारी प्रखंड कार्यालय पहुंचे और विरोध जताया. उन्होंने बीडीओ मनोज मरांडी से मिलने की कोशिश की. बीडीओ के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में खुखरा मे रहने के कारण कार्डधारी लौट गये. भाजपा नेताओं ने इसकी जानकारी एसडीएम डुमरी को दी. नावाडीह गांव की लक्ष्मी महिला समूह के द्वारा संचालित पीडीएस दुकान से तीन माह से अनाज नहीं देने का आरोप है. इसको लेकर कई बार पंचायती हुई, लेकिन अभी तक अनाज नहीं मिला. कार्डधारियों का कहना है कि उनका दुख कोई सुनने वाला नहीं है. जीवलाल पंडित, प्रकाश पंडित, कारू कोल्ह, संजय गोस्वामी आदि ने बताया कि कई सालों से दुकानदार ने की मनमानी जारी है. दुकानदार पर कार्रवाई होनी चाहिए.

अलकारी देवी हॉस्पिटल, धनबाद
प्रसूति एवं स्त्री रोग वि...

गड़बड़झाला. लंबे समय से 15 दिनों का अवधि विस्तार देकर घोटालेबाजों को दिया जा रहा है मौका

गिरिडीह जिले के अधिकारियों ने पीडीएस अनाज घोटाले के समायोजन की दे दी है खुली छूट

राकेश सिन्हा, गिरिडीह

पीडीएस दुकानदारों का दो बार फिंगर प्रिंट लेकर एक माह का अनाज कार्डधारियों को देने का सिलसिला गिरिडीह जिले में एक लंबे अर्से से चल रहा है. इसके लिए ही विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से एक लंबे समय से अवधि विस्तार का खेल भी इस जिले में चल रहा है. बता दें कि गिरिडीह जिले में 87 हजार क्विंटल अनाज की हेराफेरी किये जाने का खुलासा कई माह पूर्व हो चुका है. इस मामले में जांच रिपोर्ट विभागीय स्तर पर दबाकर घोटालेबाजों को पीडीएस घोटाले के अनाज का समायोजन का छूट दिया जा रहा है. इस मामले में ना ही जिला प्रशासन के स्तर से अवधि विस्तार के मामले पर रोक लग रही है और ना ही विभाग अपने स्तर से कोई कार्रवाई कर रहा है. सूत्रों का कहना है कि गिरिडीह जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए खाद्यान्न का वितरण लाभुकों के बीच किया जा रहा है. अधिनियम के अनुसार निर्धारित माह के लिए आवंटित अनाज उसी महीने में कार्डधारियों को मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. अधिनियम की अनदेखी करते हुए प्रत्येक माह 15 दिनों का अवधि विस्तार दिया जा रहा है और डबल फिंगर लेकर एक माह का अनाज गायब कर दिया जा रहा है. सूत्रों की मानें तो गिरिडीह जिले में हुए 87 हजार क्विंटल अनाज घोटाले का समायोजन इसी तरीके का इस्तेमाल करके किया जा रहा है. विभागीय सूत्रों का कहना है कि अब तक घोटाले का लगभग 50 प्रतिशत अनाज का समायोजन घोटालेबाजों ने कर दिया है. बताया जा रहा है कि कुछ माह और इसी स्थिति में अनाज का वितरण होता रहा तो घोटाले के सभी साक्ष्य मिट जायेंगे.

बिना अनाज ढोये ट्रांसपोर्टिंग खर्च निकालने की फिराक में है संवेदक : वहीं, दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि एफसीआई से एसएफसी के गोदाम तक जो अनाज नहीं पहुंच सका है, उसका भी विपत्र परिवहन संवेदक ने बना लिया है और उस ट्रांसपोर्टिंग खर्च को निकालने के प्रयास में है. बता दें कि पिछले चार सालों के भौतिक सत्यापन में यह स्पष्ट हो चुका है कि कई अनाज लदे वाहन एफसीआई गोदाम से निकले, लेकिन अभी तक एसएफसी के गोदाम में नहीं पहुंचे और ट्रांसपोर्टिंग खर्च का विपत्र विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर उसकी निकासी का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए विभागीय स्तर पर ऊंची पहुंच का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

डीएसडी के संवेदकों पर कार्रवाई करने के बजाय डीलर को दी जाती है चेतावनी

पूर्व में हो चुके 87 हजार क्विंटल अनाज के घोटाले के समायोजन के खेल में डीएसडी के कई संवेदक भी शामिल हो गये हैं. बताया जाता है कि एफसीआई के संवेदक के लोगों ने डीएसडी के संवेदकों के साथ तालमेल बना रखा है. समायोजन के लिए डीलरों तक अनाज पहुंचाने के बजाय तकनीकी और कागजी खानापूरी की जा रही है. गौरतलब बात तो यह है कि इस मामले मे वरीय अधिकारियों के आंख मे भी धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है. वर्तमान मे अनाज समायोजन के खेल मे कुछ प्रखंडो के डोर स्टेप डिलेवरी के संवेदको की भूमिका अहम मानी जा रही है. ऐसे प्रखंडो मे अनाज दिये बिना ही डीलरों पर बेवजह का दबाव बनाया जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि विभाग के वरीय अधिकारियों को जानकारी है कि डीएसडी के संवेदक अनाज डीलरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण गिरिडीह जिले की वितरण व्यवस्था चरमरायी हुई है और जब भी वरीय अधिकारियों पर इस मामले को लेकर दबाव पड़ता है तो वे प्रखंडों के एमओ को पत्र लिखकर डीलर पर बेवजह दबाव बनाते हैं. इधर डीलरों का कहना है कि जब डीएसडी के संवेदक उन्हें समय पर अनाज नहीं देते तो फिर वे कार्डधारियों को अनाज कहां से देंगे. इस मामले मे फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के राजेश बंसल ने कहा कि कई प्रखंडों मे डीएसडी के संवेदक आवंटित माह का अनाज उसी माह मे नहीं देते हैं. इसके कारण डीलर भी कार्डधारियों को अनाज समय पर देने मे असमर्थ हैं. उन पर बेवजह विभाग के स्तर से दबाव दिया जाता है.

जुलाई में भी पिछड़ रहा है गिरिडीह मात्र 58.57 % अनाज का हुआ वितरण

पिछले लगातार तीन महीने से अनाज वितरण मे गिरिडीह जिला राज्य में पिछड रहा है. घोटाले के अनाज के समायोजन के फेर मे ऐसी स्थिति हुई है. जुलाई माह मे मात्र अब तीन दिन बचे हुए हैं. 28 जुलाई तक अनाज का वितरण प्रतिशत मात्र 58.57 रहा है. जबकि राज्य का औसत वितरण प्रतिशत 83.9 है. बता दें कि मई माह मे राज्य मे 83.35 प्रतिशत वितरण हुआ था और गिरिडीह जिले मे मात्र 45.68 प्रतिशत ही वितरण हो पाया था. इसी प्रकार जून में भी राज्य मे 88.42 प्रतिशत और गिरिडीह जिले मे मात्र 67.26 प्रतिशत अनाज का वितरण किया गया था. इस प्रकार मई, जून और जुलाई महीने मे गिरिडीह जिला का स्थान अनाज वितरण मे राज्य मे सबसे पीछे है. इस फिसड्डी पर भी अधिकारियों की कार्यशैली मे कोई बदलाव नहीं देखी जा रही है. खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल के अनुसार हर बार गिरिडीह जिले के उन्ही प्रखंडों मे अनाज का वितरण सबसे खराब देखा गया है जहा अनाज के घोटाले हुए है. जिले के जमुआ मे 13.13 प्रतिशत, बिरनी मे 14.21 प्रतिशत, धनवार मे 18.21 प्रतिशत और सरिया में 33.73 प्रतिशत का वितरण 28 जुलाई तक हो पाया है. प्रत्येक बार की तरह इस बार भी अवधि विस्तार के लिए प्रयास तेज कर दिया गया है. उम्मीद जतायी जा रही है कि 15 दिनों का अवधि विस्तार लेकर पुन: जुलाई माह का अनाज वितरण डबल फिंगर करते हुए किया जायेगा.

दबी हुई है 87 हजार क्विंटल अनाज गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट

दिशा की बैठक में अनाज गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा को जांच कराने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के बाद जिले मे स्थित एसएफसी के सभी गोदामों की जांच की गयी और भौतिक सत्यापन किया गया. भौतिक सत्यापन के बाद यह खुलासा हुआ कि एफसीआई के गोदाम से चला अनाज लदा कई ट्रक एसएफसी के गोदाम में पहुंचा ही नही. इसके अलावे यह भी बात सामने आयी कि गिरिडीह जिले में लगभग 87 हजार क्विंटल अनाज का कोई अता-पता नहीं है. चौंकाने वाला रिपोर्ट आने के बाद गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने विभाग को सूक्ष्म जांच के लिए अनुरोध पत्र भेजा. वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी खाद्य आपूर्ति विभाग को पत्र लिखकर मामले की जांच का निर्देश दिया था. इस मामले में भी विभाग के अपर सचिव अनिल कुमार के नेतृत्व मे तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गयी. जांच के बाद रिपोर्ट कई माह से दबी हुई है. इस मामले मे न ही अभी तक कोई कार्रवाई हुई है और ना ही केंद्रीय मंत्री को जांच रिपोर्ट से अवगत कराया गया है. सूत्रों का कहना है कि पूरे मामले को दबाने के लिए घोटालेबाजों ने विभागीय अधिकारियो के साथ बड़ी डील की है. यही कारण है कि अभी तक घोटालेबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है.

घोटालेबाजों को सरकार दे रही है संरक्षण : अन्नपूर्णा

महिला व बाल विकास विभाग की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अनाज घोटालेबाजों को झारखंड की हेमंत सरकार संरक्षण दे रही है. यही कारण है कि घोटाला का खुलासा हो जाने के बाद भी ना ही इसमें शामिल अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही घोटालेबाजों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो रही है और ना ही घोटाला पर अंकुश लगाया जा रहा है. बताया कि दिशा की बैठक में उन्होंने गरीबों के अनाज की कालाबाजारी का मामला कई बार उठाया. उन्होंने इस संबंध मे झारखंड के खाद्य आपूर्ति विभाग को भी पत्र लिखा था. इसके बाद जांच कमेटी भी बनी. जांच कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, इसकी उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं है. गिरिडीह के डीसी ने भी अपने स्तर से मामले की जांच करायी थी. 87 हजार क्विंटल अनाज की हेराफेरी का मामला भी सामने आया. लेकिन, विभाग से लेकर सरकार तक चुप्पी साधे हुए है और अब घोटाले के अनाज का समायोजन का अवसर देकर साक्ष्य ही मिटा देने की कोशिश की जा रही है. अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस मामले को लेकर वह पुन: राज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव को पत्र लिखेंगी और मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश देंगी. यदि इसके बाद भी राज्य सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी तो वे सीबीआई और ईडी को भी शिकायत पत्र भेजेंगी.

प्रभात खबर
Tuesday, July 30, 2024
Giridih
https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/66a7dd9c55185412a2d6c743

प्रभात खबर

गिरिडीह

गड़बड़झाला. मार्च में बिरनी में 7.21, धनवार में 36.4, जमुआ में 41.5 व सरिया में 68.9 प्रतिशत अनाज का वितरण

कार्डधारियों को नहीं मिला है दो महीने का अनाज, पोर्टल पर लिया जा रहा है एडवांस फिंगर

कार्डधारियों को हो रही है परेशानी

राकेश सिन्हा, गिरिडीह

जिले में जनवितरण प्रणाली व्यवस्था चरमराने के बाद भी इसे दुरुस्त करने की दिशा में आपूर्ति विभाग के अधिकारी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं. मार्च महीने में भी जिले के कई प्रखंडों में अनाज का वितरण सही से नहीं किया गया. बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्डधारियों को प्रत्येक माह का अनाज उसी माह में दिया जाना है. इसके लिए मंथली साइकिल सिस्टम लागू है, परंतु इसका पालन करने में अधिकारियों को कोई दिलचस्पी नहीं है. अनाज वितरण की स्थिति का आकलन करने के लिए झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल का अवलोकन किया गया तो पाया कि जिले में बिरनी प्रखंड में अनाज वितरण की व्यवस्था पूरी तरह चरमरायी हुई है. मार्च महीने में मात्र 7.21 प्रतिशत अनाज का ही वितरण किया गया है. वहीं, राजधनवार में 36.4 प्रतिशत, जमुआ में 41.5 प्रतिशत और सरिया में 68.9 प्रतिशत अनाज का ही वितरण हुआ है. शेष वितरण के लिए पुनः अवधि विस्तार की प्रतीक्षा की जा रही है. बताया जाता है कि इसी अवधि विस्तार के दौरान डबल फिंगर का खेल खेलकर गबन किये गये अनाज को एडजस्ट कर लिया जाता है. जमुआ प्रखंड में कुल 289 डीलरों में से 118 डीलरों ने मार्च माह के अनाज का वितरण शुरू ही नहीं किया है. इसी प्रकार धनवार में 230 डीलरों में से 105 डीलर, बिरनी में 138 में से 114 डीलर और सरिया में 116 में से 27 डीलर का अनाज वितरण प्रतिशत शून्य है.

मार्च माह में दिया गया जनवरी व फरवरी माह का अनाज : सूत्रों का कहना है कि एडवांस फिंगर लेकर पोर्टल को अप टू डेट तो किया गया है, लेकिन कार्डधारियों को उसके अनुसार अनाज मिला तक नहीं है. कार्डधारियों को दो माह का अनाज नहीं देकर उनका फिंगर प्रिंट ले लिया गया है. ऐसे में आपूर्ति विभाग के दस्तावेजों में सब कुछ दुरुस्त कर लिया गया है. सूत्रों का कहना है कि इस गोरखधंधा में डीलर से लेकर आपूर्ति विभाग के वरीय अधिकारियों की संलिप्तता है और यही कारण है कि प्रखंड से लेकर जिला तक के अधिकारी सब कुछ जानते हुए चुप्पी साधे हुए हैं. एजीएम स्तर के पदाधिकारी तक अपने आधिकारिक बयान में कहते हैं कि वर्तमान में फरवरी माह का अनाज का वितरण किया जा रहा है. जबकि, पोर्टल में मार्च माह का फिंगर प्रिंट दिखा रहा है. उन्होंने स्वीकार किया कि अनाज गबन हो जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है.

अनाज गबन मामले में रोक दी गयी प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया : जमुआ में कुल 24945 क्विंटल अनाज की हेराफेरी यानि गबन कर लिया गया है. इसके कारण कार्डधारियों को प्रत्येक माह का अनाज निर्धारित समय पर नहीं दिया जाता. कार्डधारियों को अनाज लेने के लिए पीडीएस दुकानों का चक्कर काटना पड़ता है. जमुआ में एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक 20460 क्विंटल चावल और 4485 क्विंटल अनाज लाभुकों को न देकर गबन किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के डिपो से चला अनाज में से 24945 क्विंटल अनाज झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम में पहुंचा ही नहीं. जांच रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया कि कुल 96 ट्रक अनाज को रास्ते से ही टपा दिया गया. सूत्रों की मानें तो इस गबन के मामले को लेकर कुछ माह पूर्व प्राथमिकी दर्ज करने की कारंवाई भी शुरू की गयी थी. इसके लिए जमुआ प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी को जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया था. कहा गया था कि चार हजार रुपये प्रति क्विंटल के दर से कुल 20384 क्विंटल अनाज का रकम आठ करोड़ 15 लाख 37 हजार रुपये वसूलनीय है. इसमें तत्कालीन परिवहन अभिकर्ता सुबीर कुमार परदेशी एवं तत्कालीन प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक बबलू चौधरी की भी मिली भगत है. इन लोगों के खिलाफ थाना में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रारूप भी तैयार किया गया, लेकिन बाद में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया को ही रोक दिया गया. सूत्रों का कहना है कि इतनी मोटी रकम के गबन के मामले में अधिकारियों ने अब तक चुप्पी साध रखी है.

मार्च माह में अनाज वितरण की स्थिति

प्रखंड	आवंटन	वितरण	प्रतिशत
बगोदर	743015	632082	85.07
बेंगाबाद	738315	701114	94.96
बिरनी	816300	58872	7.21
देवरी	895875	839573	93.72
धनवार	1268640	461791	36.4
डुमरी	1051910	983636	93.51
गांडेय	778450	744901	95.69
गावां	542790	432911	79.76
गिरिडीह (मु)	1112010	1023719	92.06
जमुआ	1268935	525982	41.45
पीरटांड	543000	505095	93.02
सरिया	725970	499882	68.86
तिसरी	464800	440015	94.67
गिरिडीह (नि)	333270	297480	89.26
कुल	11283280	8147056	72.20

(आवंटन व वितरण किलो में)

कम मात्रा में मिलता है अनाज, शिकायत सुनने वाला कोई नहीं : कार्डधारी

जिले के बिरनी, जमुआ, धनवार, सरिया में अनाज गबन होने के बाद सबसे ज्यादा इन्हीं प्रखंडों के कार्डधारियों को परेशानी हो रही है. मामले को रफा-दफा करने के लिए डबल फिंगर कार्डधारियों से लिया जाता है. कार्डधारियों का कहना है कि दो-दो बार फिंगर तो लेते हैं, लेकिन एक माह का ही अनाज उन्हें मिलता है और वह भी निर्धारित मात्रा से कम होता है. कहीं भी शिकायत करने पर कोई सुनने वाला नहीं है. पांडेयडीह पंचायत के नंदलाल दास ने बताया कि दो माह का राशन देना तो दूर एक माह का भी अनाज निर्धारित मात्रा से दो-तीन किलो कम ही दिया जाता है. डीलरों की मनमानी चरम पर है. कार्डधारी चमेली देवी कहती है कि उनके पास सादा राशन कार्ड है, जब से कार्ड मिला है, तब से उसे एक बार राशन मिला है. डीलर से पूछने पर बताया जाता है कि उसका राशन बंद हो गया है. कार्डधारी रोहिनी देवी ने कहा कि डीलर जो देते हैं, वही लेकर हम चले आते हैं. हमलोगों को हर माह राशन मिलता भी नहीं है. करीहारी की बसंती देवी ने कहा कि दो माह का अनाज उसे नहीं मिला है. कई बार डबल फिंगर भी मशीन में लिया गया, लेकिन, हमेशा अनाज एक ही माह का मिला है. पूछने पर डीलर कहते हैं कि जो मिला है, उसे लेकर जाओ.

डीएसडी के संवेदक डीलरों तक अनाज पहुंचाने में कर रहे हैं मनमानी

जिले के कई प्रखंडों में डीलरों की मनमानी की वजह से जनवितरण प्रणाली व्यवस्था चरमरा गयी है. ना ही निर्धारित समय पर अनाज डीलरों को दिया जा रहा है और ना ही निर्धारित मात्रा में. अनाज गबन करने के लिए डीएसडी संवेदक तरह-तरह का हथकंडा अपनाते हैं. एफसीआई द्वारा जेएसएफसी को एक माह पूर्व अनाज दे दिया जाता है, लेकिन जेएसएफसी के गोदाम से पीडीएस डीलर तक समय पर अनाज नहीं पहुंचाया जाता है. अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी डीएसडी संवेदक की होती है. संवेदक प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में अनाज डीलरों तक पहुंचाते हैं और फिर गबन का खेल खेला जाता है. जमुआ में 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक जेएसएफसी के गोदाम से अनाज का उठाव ही नहीं किया गया. इस संबंध में एजीएम और डीएसडी के संवेदक एक-दूसरे पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं. डीएसडी के संवेदक अनुज कुमार यादव का कहना है कि होली के छुट्टी के कारण कुछ दिनों तक उठाव नहीं हो सका. एजीएम भी छुट्टी पर थे. गोदाम से अनाज देने वाला कोई नहीं था. ऐसे में हम अनाज डीलरों को कैसे पहुंचाते. इधर, डीलरों का कहना है कि उन्हें गोदाम से ही अनाज समय पर नहीं दिया जाता. हीरा देवी एसएचजी समूह की संचालिका हीरा देवी का कहना है कि दो माह का राशन आज तक नहीं मिला. पिछले दिनों गिरिडीह के विधायक जमुआ में आकर डीएसओ को निर्देश दिये कि निर्धारित समय में अनाज सुनिश्चित करायें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. वहीं, पाराखारो के डीलर बालेश्वर प्रसाद ने कहा कि 30 मार्च को उसे फरवरी माह का अनाज मिला है, जिसका वितरण किया जा रहा है.

डीलरों को दिया गया है फरवरी माह का अनाज : एजीएम

जमुआ के सहायक गोदाम प्रबंधक देवदयाल रजवार ने कहा कि प्रखंड में लगभग 20 हजार क्विंटल से भी ज्यादा अनाज का गबन हो चुका है, जिसके कारण दो माह का बैकलॉग चल रहा है. उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान में फरवरी माह का अनाज डीलरों को भेजा जा रहा है. एक सप्ताह में फरवरी माह का अनाज शत प्रतिशत डीलरों को मिल जायेगा. कहा कि एक माह का एडवांस फिंगर लेकर डीलरों को अनाज दिया जा रहा है. इस पूरी स्थिति से जिले के वरीय अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है.

Monday, April 1, 2024
Giridih
https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/6609b69ca9859650e2c7e6a4

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू मंथली डिस्ट्रिब्यूशन साइकिल की हो रही अनदेखी

खाद्यान्न वितरण में प्रावधानों का हो रहा उल्लंघन, अधिकारी बने मूकदर्शक

राकेश सिन्हा, गिरिडीह

जनवितरण प्रणाली व्यवस्था में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का घोर उल्लंघन हो रहा है. जनवितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक माह अनाज का वितरण गरीबों के बीच किया जाता है. इस वितरण व्यवस्था में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मंथली डिस्ट्रिब्यूशन साइकिल लागू की गयी है. लेकिन, इस प्रावधान का जिले में खुलकर अनदेखी की जा रही है. बता दें कि जविप्र व्यवस्था को ऑनलाइन करने के पूर्व अनाज की कालाबाजारी की शिकायत बड़े पैमाने पर मिल रही थी. प्रत्येक माह का अनाज उसी माह में नहीं मिलता था और ऐसे में कालाबाजारियों को अनाज वितरण में गड़बड़ी करने का अवसर मिलता था. इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही मंथली डिस्ट्रिब्यूशन साइकिल को लागू किया गया. इसके तहत हर कार्डधारियों को हर माह का अनाज उसी माह में दिये जाने का प्रावधान है. लेकिन ऐसा न कर कालाबाजारियों का सिंडिकेट ने फिर से नये तरीके का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.

अवधि विस्तार लेकर गायब किया जा रहा अनाज : मंथली डिस्ट्रिब्यूशन साइकिल लागू रहने के बाद भी परिवहन व वितरण करने वाले लोग मानने को तैयार नहीं है. अनाज घोटाला को अंजाम देने के लिए इस सिस्टम को लागू होने देना नहीं चाहते. प्रत्येक माह अनाज ना देकर अवधि विस्तार लिया जा रहा है. अब तो यह एक परंपरा बनती जा रही है. लगभग 15 दिन का अवधि विस्तार लेकर इसी दौरान दो-दो माह का अनाज वितरण दिखाया जाता है और अधिक मात्रा में अनाज का गबन कर लिया जाता है.

विभागीय अधिकारियों से सांठ-गांठ कर चल रहा है खेल : अवधि विस्तार का यह खेल एक लंबे समय से चला आ रहा है. कार्डधारियों को अनाज नहीं मिलने का हवाला देकर ये लोग हर माह 15 दिनों का अवधि विस्तार लेते हैं. सच्चाई यह है कि सरकार ने प्रत्येक माह की पहली तारीख से कार्डधारियों को अनाज देने की अधिसूचना तक जारी कर दी है, लेकिन अनाज नहीं मिलने का बहाना बनाकर कार्डधारी समय को टालते हैं और उन्हें अनाज नहीं दिया जाता है. विभागीय सूत्रों का कहना है कि यह जानकारी आपूर्ति विभाग के प्रखंड से लेकर राज्य स्तर के अधिकारियों को भी पता है. लेकिन, फिर भी सभी मूकदर्शक बने हुए हैं. 29 फरवरी 2024 को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी सतीशचंद्र चौधरी ने फरवरी माह के अनाज का वितरण अवधि में विस्तार किया है. इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि खाद्यान्न का वितरण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण मंथली डिस्ट्रिब्यूशन साइकिल में संशोधन किया गया है. यानि उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों में ही बदलाव कर दिया.

डबल फिंगर प्रिंट लेकर की जाती है अनाज की हेराफेरी : विभागीय सूत्रों की मानें तो प्रत्येक कार्डधारियों को अनाज देने के क्रम में प्रत्येक वर्ष 12 महीने के स्थान पर 9 या 10 महीने ही अनाज मिल पाता है. यही कारण है कि मंथली साइकिल सिस्टम को तोड़कर अनाज प्रत्येक माह में नहीं दिया जाता है. साथ ही कार्डधारियों को भी भ्रमित किया जाता है. जानकारों का कहना है कि अवधि विस्तार मिलने से उसी दौरान दो-दो माह का अनाज के लिए कार्डधारियों का डबल फिंगर लिया जाता है, जिसमें से एक माह का अनाज गबन कर लिया जाता है और लाभुकों को एक माह का ही अनाज दिया जाता है. इस मामले को लेकर कई बार कार्डधारियों ने भी विरोध भी जताया है.

प्रखंड	आवंटन (किलो)	वितरण (किलो)	वितरण (% में)
बगोदर	743015	179986	24.22
बेंगाबाद	738315	459412	62.22
बिरनी	816300	0	0
देवरी	895875	316827	35.37
धनवार	1268640	519116	4.09
डुमरी	1051910	743360	70.67
गांडेय	778450	574095	73.75
गावां	542790	183490	33.8
गिरिडीह (मु)	1112010	790179	71.06
जमुआ	1268935	193092	15.22
पीरटांड़	543000	242612	44.68
सरिया	725970	234806	32.34
तिसरी	464800	381527	82.08
गिरिडीह निगम	333270	150554	45.17
कुल	11283280	4501856	39.9

बिरनी में अभी तक शुरू नहीं हुआ मार्च माह का वितरण

मार्च महीने में होली जैसा त्योहार रहने के बाद भी सभी कार्डधारियों को अभी तक अनाज नहीं मिल पाया है. झारखंड सरकार के पोर्टल के अनुसार जिले में सबसे ज्यादा खराब स्थिति बिरनी प्रखंड की है. बिरनी में वितरण का प्रतिशत शून्य है. यहां अभी तक मार्च माह का अनाज कार्डधारियों को नहीं दिया गया है, जिससे लगभग 30893 कार्डधारी प्रभावित है. वहीं, धनवार प्रखंड मे मार्च माह मे वितरण का प्रतिशत मात्र 4.09 प्रतिशत है. यह आंकड़ा 21 मार्च 2024 का है. राजधनवार में भी कुल 48526 कार्डधारियों में से 46580 कार्डधारियों को अनाज नहीं मिल पाया है.

क्या कहते हैं अधिकारी

जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला गोदाम प्रबंधक गुलाम समदानी कहते हैं कि कई प्रखंडों में बैकलॉग रहने के कारण अनाज का वितरण निर्धारित समय पर नहीं हो पा रहा है. बताया कि तीन प्रखंडों में यह समस्या है. विभाग से बैकलॉग का अनाज की मांग की गयी है. बैकलॉग का अनाज मिलने से समस्या का निदान हो जायेगा. वहीं, बिरनी के एजीएम देवेंद्र मंडल कहते हैं कि दो माह का बैकलॉग यहां चल रहा है. अभी फरवरी माह का अनाज डीलरों के पास भेजा जा रहा है. वितरण में सुधार का उन्होंने काफी प्रयास किया. हमको जितना अनाज मिल रहा है, उतना अनाज डीलरों तक पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है.

एक माह पूर्व ही एफसीआइ दे देता है अनाज, फिर भी वितरण में मनमानी

विभागीय सूत्रों का कहना है कि एफसीआइ एक माह पूर्व ही जेएसएफसी को अनाज उपलब्ध करा देता है. लेकिन, जेएसएफसी के गोदामों से डीलरों तक अनाज पहुंचने में देर होता है. जेएसएफसी के अधिकारी से लेकर डीएसडी के संवेदक तक इसमें अपनी मनमानी करते हैं. सूत्रों ने बताया कि अप्रैल माह का अनाज 31 मार्च तक उठाव कर लेने का निर्देश जेएसएफसी को दिया गया है. जानकारों का कहना है कि यदि अवधि विस्तार देने की जगह जेएसएफसी भी प्रत्येक माह का अनाज उसी माह में वितरण की व्यवस्था करे तो कालाबाजारी काफी हद तक अंकुश लग सकता है.

जमुआ में एमओ और एजीएम में नोकझोंक का वीडियो वायरल

इधर, जमुआ के जेएसएफसी गोदाम में अनाज उठाव को लेकर वहां के एमओ और एजीएम के बीच नोकझोंक का एक वीडियो भी वायरल हुआ है. डीलरों को निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं मिल रहा था और इसकी शिकायत जमुआ के बीडीओ सह एमओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा तक पहुंची. वह गुरुवार को जमुआ गोदाम में पहुंचे और वहां वजन देखने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दिया. इस प्रतिनियुक्ति पर एमजीएम ने आपत्ति जतायी और लिखित आदेश निर्गत करने की बात कही. बाद में श्री सिन्हा ने बताया कि उन्होंने वजन की जांच करने के लिए मनरेगा कर्मी को भेजा था, ताकि अनाज लोगों तक निर्धारित मात्रा में पहुंच सके और एक नयी परंपरा की शुरूआत हो. लेकिन, एक कनीय कर्मी ने अनुशासनहीनता दिखायी और उन्हें काम करने से रोका.

prabhatkhabar.com पर संबंधित खबर देखने के लिए स्कैन करें

विडंबना. प्रभार पर चल रहा है विभाग, ट्रांसपोर्टरों की चलती है मनमानी, कार्डधारियों से जबरन लगवाया जाता है अंगूठा

चरमरा गया आपूर्ति विभाग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम

नहीं पहुंच रहा गरीबों तक अनाज

राकेश सिन्हा, गिरिडीह

जिस तरह से गिरिडीह जिले के विभिन्न गांवों में कार्डधारियों और पीडीएस डीलरों के बीच नोकझोंक हो रही है, उससे लगता है कि दोनों ट्रांसपोर्टरों की साजिश का शिकार हो रहे हैं. आपूर्ति विभाग का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चरमरा गया है और भारत सरकार द्वारा भेजा गया अनाज कार्डधारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है. आपूर्ति विभाग से जुड़े अधिकारी कहते हैं कि गिरिडीह जिला समेत पूरे राज्य भर में आपूर्ति पदाधिकारियों और गोदाम प्रबंधक का पद रिक्त है और यह पूरा सिस्टम प्रभार पर चल रहा है. गिरिडीह जिले में एमओ का 14 पद रिक्त पड़े हुए हैं. जबकि, जिला गोदाम प्रबंधक का एक और सहायक गोदाम प्रबंधक का 13 पद वर्षों से रिक्त है. इन पदों पर अन्य अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर उनसे आपूर्ति विभाग का काम लिया जा रहा है.

प्रतिनियुक्त अधिकारियों को पीडीएस के कंट्रोल एक्ट की नहीं है जानकारी

जिले में आपूर्ति विभाग के रिक्त पड़े पदों पर कभी बीडीओ, कभी सांख्यिकी पदाधिकारी, कभी प्रसार पदाधिकारी, कभी जनसेवक को प्रतिनियुक्त किया जाता है. ऐसे अधिकारियों से आपूर्ति विभाग का संचालन किया जाता है. सूत्रों की मानें तो इन अधिकारियों को पीडीएस कंट्रोल एक्ट की जानकारी तक नहीं है. ये अधिकारी ट्रांसपोर्टरों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं. पूरे सिस्टम को ट्रांसपोर्टर ही चलाते हैं. बताया गया कि गोदामों का स्टॉक पंजी समेत अन्य कई दस्तावेज डोर-स्टेप-डिलिवरी (डीएसडी) के संवेदकों के पास होता है और वे ही खाद्यान्न का पूरा ब्योरा इंट्री करते हैं. गौर करने वाली बात तो यह है कि समय-समय पर होने वाले स्पष्टीकरण का जवाब भी डीएसडी से जुड़े लोग ही तैयार करते हैं.

अनाज वितरण में गड़बड़ी के साथ-साथ भ्रष्टाचार की जांच को ले पहुंचे खाद्य विभाग के अपर सचिव

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अपर सचिव ने आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और डीएसडी के संवेदकों के साथ बैठक में.

गिरिडीह. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पत्राचार के बाद झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अपर सचिव अनिल कुमार अपने तीन दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंचे. वे गरीबों के लिये आवंटित खाद्यान्न की कालाबाजारी, भ्रष्टाचार और अधिकारियों व कर्मचारियों के निरंकुश होने के आरोपों की जांच करेंगे. बता दें कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अर्द्ध सरकारी पत्र लिखकर अक्तूबर माह में ही गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न की कालाबाजारी, भ्रष्टाचार और अधिकारियों के मनमानी का आरोप लगाया था. इस मामले में सरकार के अवर सचिव सुनील कुमार ने अपर सचिव अनिल कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है. इस कमेटी में खाद्य, एवं उपभोक्ता मामले के निदेशालय के उप निदेशक उत्तम प्रसाद और निदेशालय के श्यामनाथ पाठक को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है. कमेटी को गहन जांच करते हुए 15 दिनों के अंदर संयुक्त जांच प्रतिवेदन विभागीय सचिव के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. लेकिन, अक्तूबर माह में जारी किये गये इस पत्र के एक माह बाद जांच टीम गिरिडीह पहुंची है. यह टीम गिरिडीह के अलावे बिरनी और जमुआ में भी गोदामों के साथ-साथ क्षेत्र का भी भ्रमण करेगी. सोमवार को गिरिडीह पहुंचने के बाद अपर सचिव अनिल कुमार ने न्यू सर्किट हाउस में बैठक की है. बैठक में विस्तृत जानकारी लेने के बाद अधिकारियों को कई बिंदुओं पर सवाल-जवाब भी किया है और कई मामलों में रिपोर्ट भी मांगी है. इस बीच अनिल कुमार ने बताया कि 21 दिसंबर तक वे गिरिडीह में हैं और इस दौरान खाद्यान्न वितरण से संबंधित एक कागजात और रिकार्ड की जांच की जायेगी. डीएसडी की जांच के लिए भी अधिकारियों के साथ-साथ डीएसडी के संवेदकों को भी आवश्यक निर्देश दिया गया है. इस बैठक में उप निदेशक उत्तम प्रसाद, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह निदेशालय में प्रतिनियुक्त श्यामनाथ पाठक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी समेत कई विभागीय कर्मी भी उपस्थित थे.

2021 में सरिया से अनाज लेकर चले कई ट्रक नहीं पहुंचे एसएफसी गोदाम तक

अहम बात यह है कि आवंटन के विरुद्ध झारखंड राज्य खाद्य निगम ने एफसीआई गोदामों से अनाज का उठाव कर लिया है. यह अनाज भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से निकला तो जरूर, लेकिन एसएफसी के गोदाम तक नहीं पहुंचा. जिस अनाज को आपूर्ति विभाग में प्रतिनियुक्त अधिकारी बैकलॉग बता रहे हैं, वह अनाज एफसीआई के गोदाम में अप्राप्त है. कई प्रखंडों में स्थित एसएफसी के गोदामों और एसडब्ल्यूसी के ऑनलाइन में उठाव की मात्रा और ट्रकों की विस्तृत जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. सच तो यह है कि दो वर्ष पूर्व एफसीआई से उठाव कर निकला ट्रक अभी तक प्रखंडों में नहीं पहुंचा है. जांच अधिकारियों ने पाया है कि कुल 15 ट्रक गांडेय में, तीन ट्रक बगोदर में, दो ट्रक पीरटांड में और कई ट्रक बिरनी के लिए एफसीआई के गोदाम से निकले, लेकिन पहुंचे नहीं.

ट्रक नंबर	डिस्पैच की तिथि	मात्रा	स्कीम	एसएफसी गोदाम
जेएच10एम/0801	25.06.2021	19164.50	पीएच	गांडेय
बीआर21जी/8197	08.09.2021	20535.00	ग्रीन	गांडेय
जेएच12डी/0472	06.09.2021	25357.30	पीएच	गांडेय
बीआर01जीजी/9680	14.11.2021	1713.140	पीएच	गांडेय
जेएच10बीपी/9561	14.11.2021	17876.64	पीएच	गांडेय
बीआर21जी/8197	05.10.2021	24945.00	पीएच	गांडेय
बीआर01जीजी/9680	05.10.2021	30234.00	पीएच	गांडेय
जेएच02टी/6822	05.10.2021	25030.00	पीएच	गांडेय
जेएच10बीपी/9561	06.12.2021	2303.90	पीएच	गांडेय
जेएच10बीपी/9561	22.11.2021	29972.00	अन्त्योदय	गांडेय
जेएच11एच/9011	06.02.2022	25155.00	पीएच	गांडेय
जेएच10वाई/1936	13.03.2022	23881.60	पीएच	गांडेय
एनएल01के/4661	18.08.2022	2275.00	पीएच	गांडेय
एनएल02एल/0619	30.07.2022	20088.00	पीएच	गांडेय
जेएच11एफ/8557	29.10.2022	20068.00	पीएच	गांडेय
सीजी04डीएच/1079	26.05.2020	198.88	एनएफएसए	बगोदर
जेएच11एफ/1565	03.01.2021	198.58	एनएफएसए	बगोदर
जेएच12बी/5907	22.04.2020	188.49	पीएमजीकेएवाई	बगोदर
जेएच10एन/3283	03.12.2021	19718.00	एनएफएसए	गांडेय
बीआर01जीबी/3909	06.10.2021	23008.87	एनएफएसए	गांडेय

डोर स्टेप डिलीवरी के दो संवेदक से स्पष्टीकरण

प्रभात खबर ने टेंडर वाली गाड़ियों में जीपीएस नहीं लगाने के मामले को पिछले दिनों प्रमुखता से प्रकाशित किया है. इस खबर के बाद डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने डोर स्टेप डिलेवरी के दो संवेदकों से स्पष्टीकरण करते हुए जवाब मांगा है. श्री लक्ष्मीकांत साव और श्रीकांत साव को स्पष्टीकरण में पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में बिना जीपीएस लगाये आपूर्ति विभाग का खाद्यान्न की ढुलाई की जा रही है. यह भी स्पष्ट किया गया है कि निविदा के समय जिस वाहन की सूची उपलब्ध करायी गयी, उसके विपरीत अन्य वाहन में धनवार और गिरिडीह प्रखंड में खाद्यान्न का ढुलाई नियम संगत नहीं रहते हुए भी क्यों किया जा रहा है.

प्रपत्र 'क' गठित होने के बाद भी दो-दो डीएसओ पर नहीं हुई कार्रवाई : अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने से गड़बड़ी करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है. धंधेबाजों का पहुंच और पैरवी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे खुलेआम अपनी मनमानी करते हैं और दावा किया जाता है कि कुछ बिगड़ने वाला नहीं है. गिरिडीह के उपायुक्त ने लगभग छह माह पूर्व दो डीएसओ के खिलाफ प्रपत्र 'क' गठित कर भेजा. लेकिन, इन अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी. बता दें कि 208 लोगों को गलत तरीके से दुकान आवंटन में फंसे तत्कालीन डीएसओ सुरेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग बगोदर के विधायक विनोद सिंह ने भी की थी और विधानसभा में जवाब दिया गया था कि विभागीय कार्रवाई की जा रही है. लेकिन, गिरिडीह से इनका हाल में ट्रांसफर किया गया. इस मामले में सभी दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, लेकिन अधिकारी पर उस समय कार्रवाई नहीं हुई थी. वहीं, डीएसओ के पद पर पदस्थापित गौतम कुमार भगत द्वारा एनएफएसए व जेएसएफएसएस योजना के तहत अच्छादित लाभुकों को पीवीटीजी श्रेणी में गलत तरीके से परिवर्तन करने के मामले में आरोप पत्र गठित किया गया. गिरिडीह के उपायुक्त ने मई माह में ही आरोप गठन करते हुए निलंबन का प्रस्ताव विभागीय सचिव को भेजा था. लेकिन, दोनों ही अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित संचिका विभाग में ही दबा दी गयी.

डीएसडी में लगे वाहनों के जीपीएस सत्यापन का निर्देश : गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंडों के बीडीओ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और गिरिडीह के अंचलाधिकारी को पत्र लिखकर उन्हें डीएसडी में लगे वाहनों का जीपीएस सत्यापन करने और अन्य जांच करने का आदेश जारी किया है. बता दें कि प्रभात खबर ने पिछले दिनों इस मामले को प्रमुखता से उठाया था. पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आवंटित किये गये खाद्यान्न की कालाबाजारी, भ्रष्टाचार और डीएसडी में जीपीएस लगाने में की गयी मनमानी की जांच होनी है. इस मामले में अधिकारियों से जांच कर वाहनों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. डीएसओ गुलाम समदानी ने कहा कि डीएसडी के दो संवेदकों से स्पष्टीकरण किया गया है. जबकि, अनाज ढुलाई करने वाले वाहनों में लगे जीपीएस का सत्यापन करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है.

जांच रिपोर्ट गायब करने के साथ-साथ जलाने की हो रही साजिश : दिशा की बैठक में गरीबों के अनाज की कालाबाजारी का मामला बार-बार उठाये जाने के बाद उपायुक्त ने सभी गोदामों का भौतिक सत्यापन कराया है. इस मामले में जिले भर के गोदामों का सत्यापन रिपोर्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सौंप दी गयी है. बताया जाता है कि उपायुक्त ने गोदामों से संबंधित कई जांच रिपोर्ट मंगवायी हैं. इन रिपोर्टों के गहन व सूक्ष्म अध्ययन से कालाबाजारी करने वालों पर गाज गिरने की पूरी संभावना बनी हुई है. इस विकट परिस्थिति से निजात पाने के लिए कालाबाजारी के धंधेबाज तरह-तरह की साजिशें रच रहे हैं. सूत्रों की मानें तो पिछले दिनों सभी तरह के जांच रिपोर्टों के साथ-साथ परिवहन विपत्र और विपत्र के मद में भुगतान किये गये विवरणी को गायब करने के लिए साजिश रची गयी है. इतना ही नहीं, सूत्रों की मानें तो शॉर्ट सर्किट से दस्तावेजों को भी जला देने की योजना बनायी गयी है.

झारखंड का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक

प्रभात खबर

अखबार नहीं आंदोलन

धनबाद, सोमवार
18.12.2023
मार्गशीर्ष शुक्ल 06 संवत 2080
पृष्ठ : 16, मूल्य : ₹ 6
वर्ष : 25, अंक : 342
रजिस्ट्रेशन : आर एन आई 72065/99
prabhatkhabar.com

धनबाद । रांची । पटना । जमशेदपुर । देवघर । कोलकाता । मुजफ्फरपुर । भागलपुर से प्रकाशित

स्पोर्ट्स | 12
नाथन लियोन के टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे

देश-विदेश | 13
नये साल पर बढ़े सबके कदम कश्मीर की ओर

विशेष | 11
जिद व जुनून से थामी जिंदगी की स्टेयरिंग

निवाले पर डाका. पीडीएस के माध्यम से होना था वितरण, केंद्र से झारखंड को मिला खाद्यान्न गोदामों तक पहुंचा ही नहीं

गिरिडीह में गरीबों के बीच बंटने वाले 26 करोड़ रुपये से अधिक के अनाज की कालाबाजारी!

एक्सक्लूसिव

राकेश सिन्हा, गिरिडीह

जनवितरण प्रणाली के माध्यम से गिरिडीह जिले में गरीबों में बंटने वाले अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है. 26 करोड़ रुपये (3000 रुपये प्रति क्विंटल बाजार मूल्य के हिसाब से) से भी ज्यादा का अनाज कालेबाजार में बेच दिये जाने की आशंका जतायी जा रही है. दिशा की बैठक में कालाबाजारी का मामला कई बार उठने पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कमेटी गठित कर गोदामों का भौतिक सत्यापन कराया. सत्यापन में जो बात सामने आयी है, वह काफी चौंकाने वाली है. एक रिपोर्ट के अनुसार, 86990.68 क्विंटल अनाज का लेखा-जोखा जिला प्रशासन को नहीं मिल रहा है. इसमें 51635.85 क्विंटल चावल और 35354.83 क्विंटल गेहूं है. वह अनाज कहां है, इसका क्या हुआ, इसका खुलासा जांच कमेटी ने अभी तक नहीं किया है. **बाकी पेज 09 पर**

डीसी ने कमेटी से कराया गोदामों का भौतिक सत्यापन, चौंकाने वाले तथ्य सामने आये

- दिशा की बैठक में अनाज की कालाबाजारी का मामला कई बार उठने पर करायी गयी जांच
- उच्चस्तरीय जांच के लिए डीसी ने झारखंड राज्य खाद्य आयोग के सचिव को लिखा पत्र

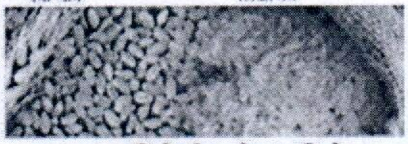

जानें महत्वपूर्ण तथ्य

87000 क्विंटल अनाज का नहीं मिल रहा लेखा-जोखा

51635.85 क्विंटल चावल और 35354.83 क्विंटल है गेहूं

ट्रांसपोर्टरों के साथ-साथ कुछ अधिकारियों की हो सकती है संलिप्तता

कालाबाजारियों को कठोर दंड मिले : अन्नपूर्णा देवी

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित गरीबों की खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए चलायी जा रही योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पर क्षोभ प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि इस काले कारोबार के संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है. जब तक गरीबों के निवाले पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, वह चुप नहीं बैठेंगी. गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने 17 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी. कोरोना की विभीषिका के दौरान जन सामान्य और विशेषत: गरीबों को भुखमरी से बचाने में यह योजना अत्यधिक उपयोगी साबित हुई और अब तो केंद्र सरकार ने इस योजना को पांच वर्षों का विस्तार देते हुए 2028 तक जारी रखने का फैसला लिया है. राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से पात्र लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना शुरू की. काफी अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि गिरिडीह जिले में किसी भी महीने लाभुकों को एक साथ केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न की सुविधा मिली ही नहीं. **(पढ़ें पेज 04 भी)**

साढ़े बारह लाख क्विंटल अनाज प्रत्येक वर्ष मिलता है जिले को

गिरिडीह जिले को औसतन साढ़े बारह लाख क्विंटल अनाज प्रत्येक वर्ष मिलता है. इस तरह यहां के कार्डधारियों के लिए एनएफएसए के तहत लगभग 1.05 लाख क्विंटल से लेकर 1.10 लाख क्विंटल तक अनाज का आवंटन प्रत्येक माह प्राप्त होता है. कोरोना काल में लगभग दो साल तक कार्डधारियों को केंद्र व राज्य सरकार का अनाज मिलाकर दोगुना दिया जाता था. इस तरह कोरोना काल में गिरिडीह जिले को दो वर्ष तक 25 लाख क्विंटल प्रत्येक वर्ष की दर से 50 लाख क्विंटल अनाज प्राप्त हुआ. लेकिन निर्धारित मात्रा में प्रत्येक माह काफी संख्या में कार्डधारियों को अनाज नहीं मिला और इनमें से काफी मात्रा में अनाज को कालाबाजार में बेच दिया गया.

निगम के गोदाम में बैकलॉग खाद्यान्न की स्थिति (क्विंटल में)

प्रखंड	चावल	गेहूं	कुल	प्रखंड	चावल	गेहूं	कुल
जमुआ	20460.00	4485.00	24245.00	सरिया	00	6055.78	6055.78
देवरी	00	00	00	पीरटांड	00	00	00
बिरनी	11839.09	635.85	12474.94	बेंगाबाद	00	00	00
गावां	00	00	00	गांडेय	1018.00	1870.00	2888.00
तिसरी	00	00	00	धनवार	10465.70	7663.54	18129.24
बगोदर	5528.06	30.68	5558.74	गिरिडीह	1500.00	3000.00	4500.00
डुमरी	825.00	11613.98	12438.98	कुल	51635.85	35354.83	86990.68

ट्रांसपोर्टिंग का फर्जी बिल देकर मोटी रकम की निकासी

एक तो गरीबों का अनाज कार्डधारियों तक पहुंचा नहीं, वहीं इसके ट्रांसपोर्टिंग खर्च की भी निकासी कर ली गयी. सूत्रों की मानें तो एफसीआइ से एसएफसी गोदाम तक अनाज पहुंचाने वाली ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के साथ-साथ डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े संवेदकों ने ट्रांसपोर्टिंग का फर्जी बिल देकर सरकार के खाते से राशि की निकासी कर ली है. इस खेल में भी प्रखंड से लेकर जिले के कई अधिकारी शामिल हैं.

टीम बना कर सभी प्रखंडों में स्थित गोदामों का निरीक्षण और भौतिक सत्यापन कराया गया. इस दौरान 86990.68 क्विंटल अनाज का लेखा-जोखा नहीं मिल पा रहा है. यह अनाज बैकलॉग में काफी लंबे समय से चला आ रहा है. इसकी गहन जांच की जरूरत है. इस संबंध में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के सचिव को पत्र लिखा गया है. कई बार उन अधिकारियों से बातचीत की गयी है. आश्वासन मिला है कि जल्द ही एक टीम लेकर पूरे मामले की जांच करायी जायेगी.

नमन प्रियेश लकड़ा, डीसी, गिरिडीह

प्रभात खबर Mon, 18 December 2023
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/74138973

प्रभात खबर
गिरिडीह

एफसीआइ से उठाव कर एसएफसी के गोदामों में अनाज पहुंचने का किया जा रहा है मिलान

एसएफसी के गोदामों का भौतिक सत्यापन शुरू

कार्रवाई

आपूर्ति विभाग में खलबली

प्रतिनिधि, गिरिडीह

एसएफसी के गोदामों में बैकलॉग में गड़बड़ी किये जाने का मामला सामने आने के बाद गोदामों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया गया है. इसके लिए एक ओर जहां एफसीआइ से उठाव किये गये अनाजों का एसआइओ के साथ अनाज की मात्रा का विवरण लिया जा रहा है. वहीं, एसएफसी के गोदामों में अनाज के पहुंचने का मिलान किया जा रहा है. आपूर्ति विभाग की बैठक में गोदाम के सहायक प्रबंधकों ने खुलासा किया है कि काफी मात्रा में अनाज का बैकलॉग चल रहा है. इसके कारण डीएसडी को अनाज नहीं मिल पा रहा है और डीएसडी को अनाज नहीं मिलने के कारण पीडीएस के दुकानों तक पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं मिल पा रहा है. फलस्वरूप कार्डधारियों को अनाज नहीं मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं. इस मामले को डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने गंभीरता से लिया है. जिले के सात प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी करने के साथ-साथ शो कॉज पूछा गया है, जबकि दो एजीएम के विरुद्ध प्रपत्र क गठित किया गया है. इधर, जिले भर के एसएफसी के गोदामों में भौतिक सत्यापन के लिए प्रशासनिक जांच टीम भी पहुंच रही है. गांडेय, देवरी, पीरटांड, जमुआ समेत अन्य प्रखंडों के एसएफसी के गोदाम का सत्यापन किया जा चुका है. डीसी ने जांच कर तुरंत रिपोर्ट सौंपने का आदेश अधिकारियों को दिया है.

जांच में नहीं रखे गये आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी : डीसी ने एसएफसी के गोदामों की जांच के लिए जिला स्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारी के नेतृत्व में कमेटी गठित की है. इस जांच कमेटी में आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी को नहीं रखा गया है. जानकारी के अनुसार गिरिडीह प्रखंड क्षेत्र में स्थापित एसएफसी के गोदामों की जांच के लिए डीडीसी शशिभूषण मेहरा के साथ गिरिडीह के सीओ को अधिकृत किया है. वहीं, बेंगाबाद प्रखंड में गोदामों का निरीक्षण गिरिडीह के अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा और बेंगाबाद के सीओ करेंगे. गांडेय प्रखंड के गोदाम का भौतिक सत्यापन गिरिडीह के एसडीओ विशालदीप खलको और गांडेय के सीओ करेंगे. वहीं जमुआ के गोदाम का निरीक्षण गिरिडीह के डीटीओ रोहित सिन्हा और जमुआ के सीओ करेंगे. धनवार में गिरिडीह के जिला कल्याण पदाधिकारी और धनवार के अंचल अधिकारी संयुक्त रूप से गोदाम का निरीक्षण करेंगे. बिरनी में जिला पंचायती राज पदाधिकारी और बिरनी के सीओ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. जबकि सरिया प्रखंड में कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेंद्र कुमार और सरिया के सीओ को जांच का जिम्मा दिया गया है. बगोदर प्रखंड में बगोदर-सरिया के एसडीओ के साथ बगोदर के सीओ गोदाम का भौतिक सत्यापन करेंगे. डुमरी में डुमरी के एसडीओ और डुमरी के सीओ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. पीरटांड प्रखंड में कार्यपालक दंडाधिकारी डॉ सुदेश कुमार व पीरटांड के सीओ, तिसरी प्रखंड में गिरिडीह के भूमि सुधार उप समाहर्ता व तिसरी के सीओ, देवरी प्रखंड में डीआरडीए के निदेशक आलोक कुमार व देवरी के सीओ और गावां प्रखंड में खोरीमहुआ के एसडीओ धीरेंद्र कुमार सिंह व गावां के सीओ गोदामों का भौतिक सत्यापन करेंगे.

तैयार किया जा रहा है गोदामों में अनाज का स्टॉक

जांच पदाधिकारियों को भौतिक सत्यापन करने के साथ-साथ गोदामों के स्टॉक को भी तैयार करने का निर्देश दिया गया है. जांच अधिकारियों को कहा गया है कि वे इनवार्ड रजिस्टर के साथ-साथ स्टॉक पंजी भी जब्त करें, ताकि एफसीआई के गोदाम से उठाव किये गये अनाज की मात्रा से मिलान किया जा सके.

प्रखंडवार अनाज के बैकलॉग की स्थिति

प्रखंड	चावल	गेहूं	कुल अनाज (क्विंटल में)
गिरिडीह	3666.82000	3006.60000	6673.42000
धनवार	8651.17000	9483.06000	18134.23000
डुमरी	6203.58920	4870.75290	11074.34210
सरिया	0.00000	8985.00000	8985.00000
बगोदर	5518.06000	30.68000	5548.74000
जमुआ	9700.50680	0.00000	9700.50680
गांडेय	629.66000	1526.14675	2155.80675
बेंगाबाद	0.00000	754.54000	754.54000
बिरनी	5022.94820	0.00000	5022.94820
कुल	39392.75420	28656.77965	68049.53385

वर्ष 2017 से चल रहा है बैकलॉग : डीएसओ

डीएसओ गौतम भगत ने कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान 68049 क्विंटल अनाज बैकलॉग में रहने की बात सामने आयी है. इस संबंध में जेएसएफसी के गोदाम के सहायक प्रबंधक ने बैकलॉग खाद्यान्न प्रतिवेदन भी समर्पित किया है. यह बैकलॉग वर्ष 2017 से चल रहा है. आवंटन के विरुद्ध अनाज का उठाव नहीं होने के कारण भी काफी मात्रा में अनाज लैप्स हुआ है. जांच के बाद वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी.

समीक्षा बैठक में डीसी को मिली कई शिकायतें

गत 12 अप्रैल को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में आपूर्ति विभाग की कई शिकायत मिली थी. समीक्षा बैठक में गिरिडीह, डुमरी और खोरीमहुआ के एसडीओ ने शिकायतें की थी. गिरिडीह के एसडीओ विशालदीप खलखो का कहना था कि एफसीआइ के डिपो से राज्य खाद्य निगम गोदाम तक परिवहन अभिकर्ता के पंजीकृत वाहनों की सूची सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. डुमरी की एसडीओ प्रेमलता मुर्मू का कहना था कि भारती चलकरी गांव में जांच के दौरान पाया गया कि कार्डधारियों को नजदीकी दुकान से राशन प्राप्त नहीं हो रहा है. उन्हें दूसरे पंचायत के दुकानों से राशन का उठाव करना पड़ रहा है. इससे कार्डधारी परेशान हैं. पीरटांड के बीडीओ को बैठक में ही निर्देश दिया गया कि वे अपने प्रखंड के प्रत्येक पंचायतों में ऐसे मामलों की जांच कर उसी पंचायत के नजदीकी दुकान से राशन उठाव हेतु नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें. खोरीमहुआ के एसडीओ धीरेंद्र कुमार सिंह ने बैठक में बताया कि जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज गांव में लाभुकों को पांच किमी दूर चलकर राशन उठाना पड़ता है. किसी कार्डधारी को 30 दिन में अनाज मिलता है तो किसी को 50 दिन में. इस समस्या के समाधान के लिए भी संबंधित एमओ को निर्देश दिया गया है.

सीओ ने की एसएफसी गोदाम की जांच

जमुआ. उपायुक्त के निर्देश के आलोक में शनिवार को सीओ द्वारिका बैठा ने एसएफसी गोदाम की जांच की. निरीक्षण के दौरान सीओ को गोदाम में 970 पॉकेट चावल व 920 पॉकेट चावल ठीक हालत में मिला. वहीं, 84 पॉकेट चावल खराब मिला. नमक व चीनी के पॉकेट की खराब स्थिति पर सीओ ने एजीएम को कड़ी फटकार लगायी. इस दौरान जब सीओ ने एजीएम बसंत पासवान से स्टॉक एवं वितरण पंजी की मांगी तो उन्होंने पूर्व एजीएम द्वारा स्टॉक की पंजी का प्रभार नहीं दिये जाने की बात कही. सीओ ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त निर्देश के आलोक में गोदाम की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित की गयी थी. हालांकि, निरीक्षण में जिला परिवहन विभाग पदाधिकारी अनुपस्थित रहे.

नयनश्री नेत्रालय
आंखों का संपूर्ण इलाज
O.P.D सोमवार से शनिवार
सुबह 9 से शाम 4 तक
Dr. Gurcharan Singh
Call: 7707013096